Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 143-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 11, 2023 (SRAVANA 20, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

दिनांक 11 अगस्त, 2023

संख्या 2/1/2008.1पर्या.— जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 6) की धारा 12 की उपधारा (3) तथा (3क) तथा वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 14) की धारा 14 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1 (1) ये विनियम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023 कहे जा सकते है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2021 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 9 में, उप विनियम (1) में, शीर्ष ग्रुप—'क' में, निम्नलिखित मद तथा उसके नीचे प्रविष्टियां क्रम संख्या 'क' के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(क1) मुख्य पर्यावरण अभियन्ता की दशा में:—

(i) 100% वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारियों में से समय—समय पर सरकार द्वारा यथा विहित सामान्य निबन्धनों तथा शर्तों पर नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर।

(क2) मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी की दशा में,—

(i) 50% वरिष्ठ वैज्ञानिक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) 50% केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारियों में से समय—समय पर सरकार द्वारा यथा विहित सामान्य निबन्धनों तथा शर्तों पर नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर।''

इसके अलावा क्रम संख्या 'क' का नाम बदलकर क्रम संख्या 'क3' हो जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट क में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, शीर्ष ग्रुप–'क' में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां क्रम संख्या '1' के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3	4
''1क .	मुख्य पर्यावरण अभियन्ता	02	लेवल–19–128900–219600 रूपए
1ख.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	02	लेवल–19–128900–219600 रूपए''

इसके अलावा क्रम संख्या '1' का नाम बदलकर क्रम संख्या '1ग' हो जाएगा।

4. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3, तथा 4 के नीचे, शीर्ष ग्रुप–'क' में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां क्रम संख्या '1' के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3	4
''1क.	मुख्य पर्यावरण अभियन्ता	–	**पदोन्नति द्वाराः** (i) वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** (i) सिविल/मैकेनिकल/कैमिकल/ पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में पूर्ण कालिक नियमित स्नातक डिग्री तथा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत। (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत या उच्चतर स्तर में एक विषय के रूप में हिन्दी।
1ख.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	–	**पदोन्नति द्वाराः** (i) वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** (i) एमएससी.कैमिस्ट्री/पर्यावरण विज्ञान/माईक्रोबायोलोजी/ बायोकैमिस्ट्री/ बायोटैक्नोलोजी में पूर्ण कालिक नियमित डिग्री/कैमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन लोक क्षेत्र उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत। (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत या उच्चतर स्तर में एक विषय के रूप में हिन्दी।''

इसके अलावा क्रम संख्या '1' का नाम बदलकर क्रम संख्या '1ग' हो जाएगा।

5. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट 'ग' में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, शीर्ष ग्रुप–'क' में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां क्रम संख्या '1' के पूर्व रखी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3	4	5	6	7
''1क.	मुख्य पर्यावरण अभियन्ता	अध्यक्ष	1. बड़ी शास्तियां।	प्रशासकीय सचिव	सरकार	–
			2. छोटी शास्तियां।	अध्यक्ष	प्रशासकीय सचिव	सरकार
1ख.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	अध्यक्ष	1. बड़ी शास्तियां।	प्रशासकीय सचिव	सरकार	–
			2. छोटी शास्तियां।	अध्यक्ष	प्रशासकीय सचिव	सरकार''

इसके अलावा क्रम संख्या '1' का नाम बदलकर क्रम संख्या '1ग' हो जाएगा।

पी० राघवेंद्रा राव,
चेयरमैन
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बार्ड।

विनीत गर्ग,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन एंव वन्यजीव विभाग।